Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 24-08-2005

Participants : Ola Shri Sis Ram

>

Title : Statement by Minister regarding status of implementation of Recommendations in 2nd and 5th Reports of Standing Committee on Coal and Steel on Demand for Grants (2004-05) pertaining to the Ministry of Mines.

MR. SPEAKER: You can lay it on the Table of the House.

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

*महोदय, उड़ीसा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार उड़ीसा सरकार और मै. पोस्को आफ दि रिपब्लिक आफ कोरिया के बीच 22 जून, 2005 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कोरियन कम्पनी (क) इस्पात निर्माण (ख) एकीकृत इस्पात संयंत्र और संबंधित परियोजनाओं के लिए आवश्यक बुनियादी संरचना तथा (ग) लौह अयस्क एवं अन्य अयस्कों के खनन से संबंधित क्षेत्रों में उड़ीसा में निवेश करने के लिए एक भारतीय कम्पनी स्थापित करेगी। समझौता ज्ञापन में प्रस्तावित निवेश लगभग 12 बिलियन यू.एस. डॉलर अथवा 51,000 करोड़ रुपए (अनुमानित) होगा।

2. इस परियोजना के फलस्वरूप इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास होगा। पोस्को खान स्थल से इस्पात परियोजना तक एक समर्पित रेलवे लाइन का निर्माण करेगा। पोस्को के पास पारादीप मेजर पोर्ट पर एक माइनर पोर्ट और /अथवा एक बर्थ का निर्माण करने का भी ि वकल्प है। कंपनी को जल आपूर्ति, हाउसिंग और विद्युत आपूर्ति सहित टाउनशिप विकसित करने के लिए लागत पर भूमि उपलब्ध कर वाई जाएगी।

3. समझौता ज्ञापन से यह स्पट होता है कि 12 मिलियन टन प्रतिर्वा की प्रस्तावित इस्पात परियोजना की जरूरत को पूरा करने के लिए कम्पनी को 62 प्रतिशत औसत लौह तत्व युक्त लगभग 600 मिलियन टन लौह अयस्क की जरूरत होगी। कम्पनी पारादीप परियोजना में बेहतर गुणवत्ता का इस्पात उत्पादन करने और ऊर्जा संरक्षित करने के लिए उच्च एल्युमिना तत्व वाले लौह अयस्क का निर्यात कर ऐसे लौह अयस्क की उतनी ही मात्रा, (जो पारादीप संयंत्र की वार्षिक कुल आवश्यकता के 30 प्रतिशत से अधिक न हो) आयात कर सकती है, जिसमें मिश्रण के लिए समान या बेहतर लौह तत्व और निम्न एल्युमिना तत्व वाला लौह अयस्क हो। **समझौता ज्ञापन में यह भी स्पट किया गया है कि ऊपर उल्लिखित सीमा के भीतर और उच्च ग्रेड ओर की समान मात्रा के आयात के माध्यम से पूर्णतः बदली करने के सिवाय कैप्टिव खान से लौह अयस्क के निर्यात की अनुमति नहीं होगी।** उड़ीस सरकार, कंपनी द्वारा निर्धारित प्र ाक्रियाओं का अनुसरण करने और अपेक्षित मानदण्डों को पूरा करने पर उसे 600 मिलियन टन लौह अयस्क के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे प्रदान करने पर सहमत हो गई है।

4. सभी खनिज रियायतें अर्थात खनन पट्टा, पूर्वेक्षण लाइसेंस, टोही परमिट राज्य सरकारों द्वारा दिए जाते हैं। खान मंत्रालय, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5 (1) के अंतर्गत अनुसूचित खनिजों के संबंध में पूर्व अनुमोदन प्रदान करता है। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा खनिज रियायतें दी जाती हैं। लौह अयस्क एक अनुसूचित खनिज होने के कारण इसके लिए भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा। तथापि, खान मंत्रालय को उड़ीसा राज्य सरकार से मै. पोस्को को पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन पट्टा मंजूर करने के लिए प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

5. जब राज्य सरकार से विधिवत अग्रेाति आवेदन प्राप्त होगा, खान मंत्रालय विधि अनुसार और संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करने के बाद प्रस्ताव की विस्तार से जांच करेगा। माननीय संसद सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों पर, मामले की जांच के समय यथोचित ध्यान दिया जाएगा।

[R19]

-